माननीय *जी. एस. सिंघवी और इकबाल सिंह* के समक्ष

संजय कुमार,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और *एक और,- उत्तरदाता*

2000 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1407

4फरवरी, 2000

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14,16,16 (4), 226 और 309- रोजगार विनिमय (रिक्तियों *की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959- हरियाणा सरकार।अधिसूचना सं। जीएसआर/39/ कॉन्स्ट।/* अनु. */309/94 दिनांक 11 मई, 1994- कार्यकारी निर्देश, पत्र सं. 6/38/95-2GSI दिनांक 7 मार्च, 1996 और सं. 6/38/95-2GSI दिनांक 18 मार्च, 1996- भेदभाव* की *याचिका- अधिसूचना/ पत्रों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन कार्य- प्रभारित/ आकस्मिक/ दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति तैयार करना- याचिकाकर्ता मूल रूप से कक्षा I V के पद पर दैनिक वेतन पर लगा हुआ था, लेकिन कक्षा III के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था- कक्षा IV के पद पर उसकी सेवाओं को नियमित किया गया- याचिकाकर्ता ने कक्षा III के पद पर नियमित करने का दावा किया- बस इसलिए कि याचिकाकर्ता को कक्षा III के कर्तव्य सौंपे गए हो सकते हैं, वह उस पद पर नियमित करने का दावा नहीं कर सकता है- याचिका*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार मूल रूप से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त/संलग्न व्यक्ति की सेवाओं को तृतीय श्रेणी के पद पर केवल इसलिए नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे तृतीय श्रेणी के पद का कर्तव्य सौंपा गया हो या उसने किसी विशेष अवधि के लिए तृतीय श्रेणी के पद के विरुद्ध काम किया हो।मान लीजिए कि याचिकाकर्ता को 23 सितंबर, 1992 को अस्थायी मस्टर रोल पर माली-सह-चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था।इसलिए, चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनकी सेवाओं का नियमितीकरण राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नीतिगत निर्देशों के साथ काफी सुसंगत *है,* जो हुडा सेवाओं पर लागू किए गए थे-15 अप्रैल, 1997 के ज्ञापन के अनुसार और केवल यह तथ्य कि उन्हें क्लर्क के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया था, याचिकाकर्ता के लाभ को सुनिश्चित नहीं कर सकता है क्योंकि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्देश, न्यायालय तदर्थ, कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा *निर्धारित पात्रता* की शर्तों में संशोधन या संशोधन नहीं कर सकता है।

(पारस 11 और12)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक निर्देश जारी करके, उच्च न्यायालय कार्यकारी अधिकारियों की अवैध कार्रवाइयों को कायम नहीं रख सकता *है और* तदर्थ, कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को सीधे नियमित नहीं कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण की नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है।

(पैरा 13)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए मामलों में पारित आदेशों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए जारी किए गए निर्देशों की ओर न्यायालय का ध्यान नहीं खींचा गया था और इसलिए, उसी पर ध्यान दिए बिना, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर राहत दी कि वे कट-ऑफ तिथि पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।इनमें से किसी भी मामले में, न्यायालय को दिनांकित अधिसूचना में सन्निहित शर्तों पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया था।11मई, 1994 और 7 मार्च, 1996 का परिपत्र पत्र।इसलिए, उन निर्णयों को एक प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक मूल्यांकन वाला कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित होने का हकदार है।

(पैरा 14)

के. एल. अरोड़ा, याचिकाकर्ता के वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी,

(1) संविधान की प्रस्तावना लक्ष्यों को निर्धारित करती है, जिसकी उपलब्धि की परिकल्पना स्वतंत्र भारत के लोगों द्वारा की गई थी।उन लक्ष्यों में से एक स्थिति और अवसर की समानता है, सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अनुच्छेद 14 और 16 को मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में शामिल किया गया है।अनुच्छेद 14 जीनस है जबकि अनुच्छेद 16 एक प्रजाति है।अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार से संबंधित सभी मामलों में समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाता है।यह मौलिक गारंटी का प्रतीक है कि समानता होगी

राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर।रोजगार से संबंधित मामलों में समानता के समतावादी लक्ष्य में परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति अनुच्छेद 16 (4) में निहित आरक्षण की नीति के अधीन आवेदनों और योग्यता के खुले निमंत्रण के आधार पर सख्ती से की जानी चाहिए।उपरोक्त नियम को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिनियम और नियम बनाए गए हैं।रोजगार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम। 1959 ऐसा ही एक विधान है।हालांकि, पिछले दो दशकों में, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज करना और सीधे उन लोगों को रोजगार देना एक आम बात हो गई है जो या तो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं हैं या जो पंजीकृत होने के बावजूद, रोजगार रजिस्टर में लंबी प्रतीक्षा सूची में कम हैं।इस तरह, धन सहित विभिन्न अवैध कार्यों के लिए प्रथम और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं।रोजगार पहले प्रासंगिक नियमों को दरकिनार करने के लिए कृत्रिम अवकाश के साथ अस्थायी अवधि के लिए दिया जाता है और फिर करुणा के नाम पर और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की आड़ में, सरकारें अवैध और असंवैधानिक नियुक्तियों को नियमित करने की लोकलुभावन नीतियों के साथ आती हैं।इस

तरह, अवैध रोजगार बाजार का एक अच्छा सौदा विकसित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का एक नया स्रोत विकसित हुआ है।

(2) 80 के दशक में, इन अदालतों ने केवल इस आधार पर तदर्थ, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों *की सेवाओं* को नियमित करने के लिए सरकारों द्वारा बनाए गए प्रावधानों को मंजूरी दी थी कि उन्होंने लंबे समय तक सेवा की थी, लेकिन कुछ मामलों में, उन्हें ऐसी नीतियां बनाने का निर्देश दिया था।हालाँकि, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि मामले में दिखाई गई करुणा का रवैया सरकारों और सार्वजनिक अधिकारियों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित प्रावधानों और प्रासंगिक सेवा नियमों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, अदालतों ने हाल ही में अवैध नियुक्तियों की सेवाओं को नियमित करने के खिलाफ रुख किया है।यह प्रवृत्ति *दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी संघ* बनाम *दिल्ली प्रशासन, दिल्ली और अन्य,* (1) और *हरियाणा राज्य और अन्य बनाम* प्यारा *सिंह और अन्य, (2)* मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है।बाद के फैसले में, उनके सर्वोच्च न्यायालय के अधिपत्य के बाद

(1) ए. आई. आर. 1992 एससी 789
(2) ए. आई. आर 1992 एस. सी 2130

पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा 1969 और 1987 के बीच तदर्थ कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए जारी किए *गए निर्देशों* की जांच करते हुए, इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए दिए गए निर्देशों को उलट दिया।ऐसा कहते हुए, उच्चतम न्यायालय के उनके नेतृत्व ने कहा कि अस्थायी, तदर्थ, कार्य-प्रभारित और दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को *नियमित करने* के लिए नीति तैयार करना कार्यपालिका का अनन्य विशेषाधिकार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता है।उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों ने आगे कहा कि केवल उन्हीं कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जा सकता है जो सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

(3) पियारा1सिंघ के केसेर (ऊपर) के बाद, स्टीज़ सरकार ने अधिसूचना सं. जीएसआर/39/कॉन्स्ट।/31 मार्च, 1993 को न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए और उसके बाद दो वर्ष की अवधि के लिए सेवा देने वाले तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने *के* लिए 11 मई, 1994 को Art./309/94 ने कार्यकारी निर्देश जारी किए-पत्र संख्या 6/38/95-2 जी. एस. आई. दिनांक 7 मार्च, 1996 और पत्र No.6/38/95-2 जी. एस. आई. दिनांक 18 मार्च, 1996 के माध्यम से।सुविधा के लिए, 11 मई, 1994 की अधिसूचना के उद्धरण और 7 मार्च, 1996 और 18 मार्च, 1996 के दो पत्र नीचे दिए गए हैं:

"अधिसूचना दिनांक 11 मई, 1994

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य सेवाएँ-I

अधिसूचना

11 मई, 1994

नहीं। जीएसआर/39/कॉन्स्ट।/Art./309/94।—हरियाणा सरकार के खंड-6 के परंतुक के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवा), अधिसूचना संख्या 28 जनवरी, 1970 और इस संबंध में उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां और हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन (सामान्य सेवा-I), अधिसूचना संख्या। जीएसआर/31/कॉन्स्ट।/अनुच्छेद 1 जून, 1993, हरियाणा के राज्यपाल ने एतद्द्वारा ऐसे तृतीय श्रेणी के पदों को निर्दिष्ट किया है जो 31 मार्च, 1993 को न्यूनतम दो या पांच साल की अवधि के लिए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर रखे गए *हैं/*

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा का कार्यक्षेत्र और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात्:—

1. तदर्थ कर्मचारी।—(i) केवल ऐसे तदर्थ *कर्मचारियों को* नियमित किया जाना चाहिए जिन्होंने 31 मार्च, 1993 को न्यूनतम दो साल की सेवा पूरी की हो।हालांकि, एक महीने की अवधि तक तदर्थ आधार *पर प्रदान* की गई सेवा में विराम को माफ किया जा सकता है, जिसमें संबंधित कर्मचारी के अपनी इच्छा से जाने के कारण होने वाले विराम को छोड़कर या जहां *तदर्थ नियुक्ति* किसी पद या रिक्ति के खिलाफ थी, जिसके लिए कोई नियमित भर्ती की आवश्यकता नहीं थी या करने का इरादा नहीं था, यानी छुट्टी की व्यवस्था या अन्य अल्पकालिक रिक्तियों को भरने को माफ नहीं किया जा सकता हैः

(ii) कि कर्मचारियों ने 31 मार्च, 1993 को दो साल की सेवा पूरी कर ली है और 31 मार्च, 1993 को सेवा में थे।

(iii) कि कर्मचारी को संबंधित श्रेणियों के पदों या रिक्तियों के खिलाफ नियमित किया जाएगा।सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों को उनके कोटे से अधिक समय में इस स्पष्ट शर्त के साथ नियमित किया जा सकता है कि भविष्य में भर्तियों में केवल आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को ही तब तक नियुक्त किया जाएगा जब तक कि सामान्य श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों *द्वारा आरक्षित* श्रेणी की रिक्तियों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले पिछले लॉग को मंजूरी नहीं मिल जातीः

(iv) कि कर्मचारी को रोजगार विनिमय के माध्यम से भर्ती किया जाना चाहिए था या रोजगार विनिमय से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद सीधे नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए थाः

(v) कि ऐसे कर्मचारियों का कार्य और आचरण सभी अच्छी श्रेणी का होगा और उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है; और

(vi) कि कर्मचारियों के पास तदर्थ आधार पर उनकी नियुक्ति के समय पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ थीं।

2. *दैनिक श्रेणीबद्ध कर्मचारी।(31* मार्च, 1993 को 5 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार ने 27 मई, 1993 को निर्देश जारी *किए थे।इन निर्देशों के संदर्भ में, नियमित कर्मचारी सबसे कम समूह डी वेतनमान और नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध*

अन्य सभी भत्तों और लाभों के हकदार थे।लेकिन यह सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ विभागों में दैनिक वेतनभोगी भी क्लर्क, स्टेनो-टाइपिस्ट और ड्राइवर आदि जैसे तृतीय श्रेणी के पदों पर काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे दैनिक वेतनभोगियों को समूह डी या समूह सी पैमाने पर नियमित किया जाना चाहिए।

पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि जो दिहाड़ी मजदूर 31 मार्च, 1993 को तृतीय श्रेणी के पदों पर 5 साल की सेवा पूरी कर चुके थे और 31 मार्च, 1993 को सेवा में थे, उन्हें अपने संबंधित तृतीय श्रेणी के पदों के लिए नियमित किया जाना चाहिए, बशर्ते वे आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हों और मूल रूप से तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए गए हों और पद उपलब्ध हों।यदि पद उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें वित्त विभाग से सृजित किया जाना चाहिए या उन्हें अन्य दैनिक मजदूरों की तरह अनुकंपा के आधार पर समूह-डी पैमाने पर नियमित किया जाना चाहिए।

xx xx xx

दिनांक 7 मार्च, 1996 का पत्र।

सबसे पहले! टीःकार्य-प्रभारित/ आकस्मिक/ दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित करना।

साहब,

वर्क-चार्ज/कैजुअल/डेली रेटेड कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला पिछले कुछ समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था।सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इन श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवाओं को निम्नानुसार नियमित किया जाना चाहिएः

कार्य-प्रभारित कर्मचारी जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 तक पांच या उससे अधिक वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और 31 जनवरी, 1996 को सेवा में थे, उन्हें नियमित किया जाएगा।नियमितीकरण पर, ये कर्मचारी हरियाणा राज्य में किसी भी परियोजना/कार्य पर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होंगे।

आकस्मिक/ दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी

आकस्मिक और दैनिक श्रेणी के कर्मचारी जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 को पांच साल की सेवा पूरी कर ली है और 31 जनवरी, 1996 को सेवा में थे, उन्हें नियमित किया जाएगा बशर्ते उन्होंने प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 240 दिनों की अवधि के लिए काम किया हो और किसी भी वर्ष में सेवा में अवकाश एक बार में एक महीने से अधिक न हो।जिन कर्मचारियों ने एक ही विभाग में अलग-अलग पदों पर काम किया है, यदि वे अन्य शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें भी नियमित किया जाएगा।नियमितीकरण पर, उन्हें सरकार में सबसे कम समूह 'बी' संवर्ग के लिए लागू वेतन के समय पैमाने में रखा जाएगा और वे संबंधित श्रेणी के नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अन्य सभी भत्तों और लाभों के हकदार होंगे।

दैनिक श्रेणी के कर्मचारी (वर्ग-III)

केवल ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 को तृतीय श्रेणी के पदों पर पांच साल की सेवा पूरी कर ली है और 31 जनवरी, 1996 को सेवा में थे, उन्हें उनके संबंधित तृतीय श्रेणी के पदों के लिए नियमित किया जाएगा बशर्ते वे आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हों और मूल रूप से तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए गए हों और पद उपलब्ध हों।यदि पद उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें वित्त विभाग से सृजित किया जाना चाहिए या उन्हें अन्य दिहाड़ी मजदूरों की तरह अनुकंपा के आधार पर समूह 'डी' पैमाने में नियमित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 240 दिनों की अवधि के लिए काम किया हो और किसी भी वर्ष में सेवा में ब्रेक एक बार में एक महीने से अधिक न हो।

XXXXXX

18 मार्च, 1996 का पत्र।

से

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव।

को।

1. हरियाणा में सभी विभागों के प्रमुख, अंबाला, रोहतक, हिसार और गुड़गांव संभाग के आयुक्त, सभी उपायुक्त और सभी उप-मंडल अधिकारी (सिविल)।
2. पंजीयक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़।

दिनांक, चंडीगढ़, 18 मार्च, 1996

विषयःकार्य-प्रभारित/ आकस्मिक/ दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को नियमित करना।

साहब,

मुझे हरियाणा सरकार के पत्र सं. 6/38/95-2GSI, दिनांक 7 मार्च, 1996 का उल्लेख करने का निर्देश *दिया* गया है-जिसके माध्यम से सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि उन कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 को 5 साल की सेवा पूरी कर ली है और उसमें निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा किया है।

(2) इस मामले पर आगे विचार किया गया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अब उन सभी कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 को 3 साल की सेवा पूरी कर ली है और हरियाणा सरकार के 7 मार्च, 1996 के सम संख्या पत्र में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा

किया है।

(3) तदनुसार, 7 मार्च, 1996 *के सम* संख्या पत्र के माध्यम से जारी किए गए सरकारी निर्देशों को इस हद तक संशोधित माना जाना चाहिए कि 31 जनवरी, 1996 को 5 साल की सेवा के बजाय 31 जनवरी, 1996 को 3 साल की सेवा के साथ कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक श्रेणी वाले कर्मचारी नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।

(4) कृपया इसे सभी संबंधित लोगों के ध्यान में लाया जा सकता है।

आपकी ईमानदारी से,

(एसडी)।.

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के लिए अवर सचिव, सामान्य प्रशासन।

(5) जारी किए गए दो पत्रों में निहित निर्देश हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, 'हुडा') की सेवाओं पर लागू किए गए थे-ज्ञापन संख्या *1/16/96 1* टीसीपी, दिनांक 15 अप्रैल, 1997 के माध्यम से आयुक्त और सचिव सरकार, हरियाणा, नगर और देश योजना विभाग द्वारा मुख्य प्रशासक, हुडा (अनुलग्नक पी. 8) को भेजे गए थे।15 अप्रैल, 1997 का ज्ञापन भी इस प्रकार हैः

"से

आयुक्त और सचिव, सरकार, हरियाणा, नगर और देश योजना विभाग।

को।

मुख्य प्रशासक,
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला।

दिनांक, चंडीगढ़, 15 अप्रैल, 1997।

विषयःकार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारियों को नियमित करना।

अपने ज्ञापन संख्या का संदर्भ लें। ई. ए.-6-97/1295, दिनांक 17 जनवरी, 1997 ऊपर उल्लिखित विषय पर।

*हरियाणा के राज्यपाल की मंजूरी 19 मार्च, 1997 से हुडा के केवल उन कार्य प्रभारित/ आकस्मिक/ दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए दी गई है, जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 तक 3 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है और 31 जनवरी, 1996 को सेवा में थे और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों में निहित अन्य शर्तों को भी*पूरा *करते हैं- सं. 6/3/3 95-2 GS-I दिनांक 7 मार्च, 1996 और 18* मार्च, 1996।इसके अलावा हुडा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतनमान समान पदों के लिए सरकारी विभाग में वेतनमान से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस खाते में शामिल खर्च का भुगतान हुडा द्वारा अपनी निधि से किया जाएगा।

वित्त विभाग की सहमति से इस मुद्दे को *उनके* यू. ओ. नंबर एल/एल/5-पी. एफ. (एफ. डी.)-97, दिनांक 28 मार्च, 1997 (प्रति संलग्न) के माध्यम से व्यक्त किया गया।

(एसडी.)।..,

संयुक्त सचिव, *आयुक्त* और सचिव, सरकार, हरियाणा, नगर और देश योजना विभाग।"

(6) याचिकाकर्ता को कार्यकारी अभियंता, हुडा डिवीजन नंबर 1, गुड़गांव के तहत दैनिक वेतनभोगी माली-सह-चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था।उनके मामले पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विचार किया *गया-15* अप्रैल, 1997 के ज्ञापन के माध्यम से और 30 अप्रैल, 1997 के एक आदेश (अनुलग्नक पी. 11) द्वारा, उनकी सेवाओं को 19 मार्च, 1997 से पंप परिचर के पद पर रुपये के वेतनमान में नियमित किया गया था। 750-940।इससे उन्हें संतुष्टि नहीं हुई और इसलिए उन्होंने क्लर्क के पद पर अपनी सेवा को नियमित करने के लिए हुडा के मुख्य प्रशासक को 8 अगस्त 1997, पी. 14 दिनांक 29 अक्टूबर, 1998 और पी. 15 दिनांक 9 अगस्त, 1999 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि वह क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य थे और 31 जनवरी, 1996 को 3 साल की अवधि के लिए उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे और उसके बाद भी।प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसलिए, उन्होंने यह याचिका एक अनिवार्यता जारी करने के लिए दायर की है जिसमें प्रतिवादीगण को 23 सितंबर, 1992 से एक वर्ग-द्वितीय पद (क्लर्क) पर उनकी सेवा को नियमित करने और उस पद के लिए निर्धारित वेतनमान में उन्हें वेतन देने का निर्देश दिया गया है।

(7) रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि कार्यकारी अभियंता, हुडा प्रभाग संख्या 1, गुड़गांव द्वारा पंप परिचर के पद पर उनकी सेवा को रुपये के वेतनमान में नियमित करने का आदेश पारित किया गया है। 750-940 भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत समानता के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।उन्होंने आगे कहा है कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों की सेवाओं को क्लर्क के पदों पर नियमित किया गया है और इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने वास्तव में हुडा की सेवाओं में लगे कार्य-प्रभारित, आकस्मिक, दैनिक-रेटेड कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों में निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर 3 साल से अधिक समय तक क्लर्क के रूप में काम किया था, क्लर्क के पद पर उनकी सेवा को नियमित करने के लिए प्रतिवादीगण को एक आदेश जारी किया जाए।

(8) श्री के. एल. अरोड़ा ने शिव शंकर वत्स के पुत्र नवनीत कुमार के मामले में इस न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अनुलग्नक पी. 17 और पी. 18 और गंगा राम के पुत्र सुशील कुमार, नारायण सिंह के पुत्र मोहन श्याम, शिव लाई के पुत्र अशोक कुमार, यश पॉल मदन के पुत्र राजेश मदन, राम राज के पुत्र अशोक कुमार, रण सिंह के पुत्र बालजीत और होशियार सिंह के पुत्र जतिंदर कुमार सैनी के मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अनुलग्नक पी. 17-ए और पी. 21 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों द्वारा किए गए दावे की स्वीकृति को देखते हुए, प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जा सकता है।उन्होंने यह दिखाने के लिए अनुलग्नक पी. 4 से पी. 6, पी. 9, पी. 10, पी. 12, P.12-A और पी. 16 की सामग्री पर भरोसा किया कि याचिकाकर्ता ने 1992 से 1996 तक और उसके बाद क्लर्क के रूप में काम किया था।

(9) हमने विद्वान वकील की दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है, लेकिन उनसे सहमत होने के लिए राजी नहीं हुए हैं।11 मई, 1994 की अधिसूचना को नंगे पढ़ने से पता चलता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल ने 31 मार्च, 1993 तक क्रमशः न्यूनतम 2 *या 5* साल की अवधि के लिए पदों पर रहे तदर्थ/दैनिक श्रेणी-3 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया था।इस उद्देश्य के लिए उन पदों को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा के दायरे से बाहर कर दिया गया था।सरकार द्वारा 7 मार्च, 1996 को जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों *में* उन कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की परिकल्पना की गई है, जिन्होंने 31 जनवरी, 1996 को 5 साल की सेवा पूरी की थी और उस तारीख को सेवा में थे।यह उस पत्र में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन था।18 मार्च, *1996* के पत्र के अनुसार, 31 जनवरी, 1996 को 5 साल की सेवा की आवश्यकता को घटाकर तीन साल कर दिया गया था।

(10) 11 मई, 1994 की अधिसूचना और 7 मार्च, 1996 के परिपत्र पत्र के विश्लेषण से पता चलता है कि एक कर्मचारी की सेवाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन कक्षा-III के पद पर नियमित किया जा सकता हैः

(i) वह उस पद पर नियुक्ति के लिए योग्य होना चाहिएः

(ii) वह मूल रूप से उस पद पर नियुक्त किया गया होगा; और

(iii) रिक्त पद उपलब्ध है।

(10) इस शर्त को लागू करने के पीछे तर्क कि संबंधित कर्मचारी को मूल रूप से तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया होना चाहिए, यह प्रतीत होता है कि नियमितीकरण की नीति का लाभ अब कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक मूल्यांकन वाले कर्मचारी को उस पद से अधिक के पद पर दिया जाना चाहिए जिस पर उसे शुरू में नियुक्त/नियुक्त किया गया था।इस शर्त को लागू करते समय, सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखा होगा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहरी कारणों से उच्च पदों पर काम सौंपा गया था और कई बार वरिष्ठ कर्मचारियों को ऐसे काम नहीं सौंपे गए थे।सरकार इस तथ्य से भी अवगत रही होगी कि निचले पद पर नियुक्त/नियुक्त कर्मचारी को उच्च पद का कर्तव्य सौंपने के लिए विभागीय अधिकारियों की कार्रवाई अत्यधिक अनियमित थी।सरकार इस तथ्य से भी अवगत रही होगी कि हालांकि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति करने के लिए रोजगार कार्यालय को अनुरोध भेजना आवश्यक था, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी नियुक्तियां बिना कोई अनुरोध भेजे की गई थीं।

(11) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार मूल रूप से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त/संलग्न व्यक्ति की सेवाओं को तृतीय श्रेणी के पद पर केवल इसलिए नियमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे तृतीय श्रेणी के पद का कर्तव्य सौंपा गया हो या उसने किसी विशेष अवधि के लिए तृतीय श्रेणी के पद के खिलाफ काम किया हो।

(12) अब हम याचिकाकर्ता के तृतीय श्रेणी के पद पर नियमित किए जाने के दावे की जांच करेंगे।मान लीजिए कि याचिकाकर्ता को 23 सितंबर, 1992 को अस्थायी मस्टर रोल पर माली-सह-चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था।इसलिए, चतुर्थ श्रेणी के पद पर उनकी सेवाओं का नियमितीकरण राज्य सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के साथ काफी सुसंगत है जो हुडा सेवाओं पर *लागू किए* गए थे-15 अप्रैल, 1997 के ज्ञापन के माध्यम से और केवल यह तथ्य कि उन्हें क्लर्क के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया था, याचिकाकर्ता के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं हो सकता है क्योंकि इफ्तदिया के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निर्देश जारी करके, न्यायालय पात्रता की शर्तों में संशोधन या संशोधन नहीं कर सकता है।

राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और दैनिक श्रेणी के *कर्मचारियों की* सेवाओं को नियमित करने के लिए निर्धारित।

(13) हमारी यह राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक निर्देश जारी करके, उच्च न्यायालय कार्यकारी अधिकारियों की अवैध कार्रवाइयों को कायम नहीं रख सकता है और तदर्थ, कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और *दैनिक श्रेणी* के कर्मचारियों को सीधे नियमित नहीं कर सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण की नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है।अपनी प्रकृति में, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ, अस्थायी, कार्य-प्रभारित, आकस्मिक और दैनिक श्रेणी के कर्मचारियों *की सेवाओं* को नियमित करने के लिए बनाई गई नीति इस कठोर वास्तविकता की मान्यता है कि इसके अधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता

के सिद्धांत का पालन किए बिना नियुक्तियां की हैं, जिसमें, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियों की परिकल्पना की गई है।चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति को तृतीय श्रेणी के पद के कर्तव्यों को सौंपने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को उच्च पद पर उसके नियमितीकरण का निर्देश देने से बढ़ाया नहीं जा सकता है, भले ही नीति के संदर्भ में, वह तृतीय श्रेणी के पद पर नियमितीकरण का हकदार नहीं है।

(14) अब हम श्री अरोड़ा द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार करेंगे।मामलों में पारित आदेशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन (अनुलग्नक पी. 17)।सुशील कुमार और मोहन श्याम (अनुलग्नक पी. 17/ए) और अशोक कुमार और चार अन्य (अनुलग्नक पी. 21) से पता चलता है कि उनमें से किसी में भी राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए जारी निर्देशों की ओर अदालत का ध्यान नहीं गया था और इसलिए, उसी पर ध्यान दिए बिना, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर राहत दी कि वे कट-ऑफ तिथि पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे।इनमें से किसी भी मामले में, न्यायालय को 11 मई, 1994 की अधिसूचना और 7 मार्च, 1996 के परिपत्र पत्र में सन्निहित शर्तों पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया था।इसलिए, उन निर्णयों को एक प्रस्ताव के रूप में नहीं माना जा सकता है कि एक कार्य-प्रभारित/आकस्मिक/दैनिक मूल्यांकन वाला कर्मचारी सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नियमित होने का हकदार है।

(15) नवनीत कुमार के मामले में इस अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ H.U.D.A द्वारा दायर एस. एल. पी. को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया था:

> "इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम अपील के तहत आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।इसलिए याचिका खारिज की जाती है।"

(16) हमारे सुविचारित विचार में, उस आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में नहीं माना जा सकता है और याचिकाकर्ता को राहत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि एस. एल. पी. द्वारा दायर किया गया था।

(17) ऊपर बताए गए कारणों से रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(18) इस आदेश की एक प्रति मुख्य प्रशासक, हुडा, पंचकूला को भेजी जाए।

आरएनआर

24391 एच.सी.-सरकार। प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)